न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण सं. 64/2016

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर। .....अपीलार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र नन्दा कौम बैरवा निवासी पाडलियां तहसील सावर जिला अजमेर।
2. भैरू पुत्र नाथू कौम बलाई निवासी निमोद तहसील केकडी जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 31.12.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा आदेश कमांक–573 दिनांक 13.06.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित की गई। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के विन्दू संख्या (।।) में मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के पत्रांक भूमि आवंटन/203 दिनांक 4.7.2016 से आवंटित की गई भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु निर्देशित किया गया। ग्राम कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6. 2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश कमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 871 दिनांक 06.8..2012 तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किये जाने से केता अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 885 दिनांक 05.10.2012 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उन्हें सुना गया ।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि बीसलपुर बॉध की डूब से प्रभावित विस्थापितों को अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना मुख्यालय देवली जिला टोंक के आदेश कमांक–573

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 13.06.2012 द्वारा नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 को किया गया। जिसके आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 871 दर्ज किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त आवंटित भूमि को अप्रार्थी सं0 02 को विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 885 द्वारा भूमि अप्रार्थी सं0 02 के नाम दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में कोहडा, मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश कमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि को आवंटन/नियमन योग्य नहीं माना। अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली के निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षक राजस्व लेखा राजस्व मण्डल अजमेर अवधि 4/2013 के पैरा सं0 14 के बिन्दू संख्या (।।) में भी मास्टर प्लान के ग्रामों में किये गये आवंटन को नियम विरूद्ध माना जाने से अतिरिक्त कलक्टर (पुर्नवास) एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा उक्त आवंटित भूमि के रेफरेन्स दर्ज करवाने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया गया। अतः नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.53 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय का किया गया आवंटन तथा उक्त आवंटन के आधार पर अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 871 दिनांक 06.08.2012 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 02 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 885 दिनांक 05.10.2012 नियम विरूद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार फरमाते हुए आवंटन निरस्त करनवाने हेतु प्रकरण मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर प्रेषित किया जावें।

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कोहडा, राज्य सरकार द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान में दिनांक 5.6.2011 से मास्टर प्लान का ग्राम घोषित होने से राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के आदेश कमांक प 6(7)/राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 के बिन्दू संख्या 12 के अनुसार स्थानीय निकायों के पेराफैरी क्षैत्रों में स्थित सरकारी भूमि, आवंटन/नियमन योग्य नहीं होने से नगरपालिका केकडी के परिधीय ग्राम कोहडा के खसरा सं0 338 में से रकबा 0.53 हैक्टेयर का अप्रार्थी सं0 1 को किया गया आवंटन एवं इसके आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 871 दिनांक 06.8.2012 तथा बेचान के आधार पर अप्रार्थी सं0 02 के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 885 दिनांक 05.10.2012 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन एवं उक्त आवंटन की अनुपालना में स्वीकृत नामान्तरकरण सख्या 871 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 885 नियमों में दिये गये प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाये जाने के साथ ही विवादित भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज करवाये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तगर्त धारा, 82 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner